न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 327/23

वादी :-
1-लक्ष्मीनारायण पुत्र श्यामलाल जाति ब्राहमण
निवासी निम्बोला बिस्वा तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :-
1- सतीश पुत्र श्यामलाल
2-गोविन्दलाल पुत्र श्यामलाल
3-बेबी पुत्री श्यामलाल
4-मुन्नीदेवी पुत्री श्यामलाल
5-महेश पुत्र गोपाल शर्मा
6-रेखा पुत्री गोपाल शर्मा
सभी जातियान ब्राहमण निवासीगण निम्बोला बिस्वा तहसील रियांबड़ी
3-तहसीलदार रियांबड़ी
4-पटवारी हल्का निम्बोला बिस्वा तह.रियांबड़ी।

वकील वादी:- श्री राजेन्द्रकुमार गौड़
वकील प्रतिवादीगण :- श्री कुलदीप सैन

दावा बाबत बंटवाड़ा व खातेदारी घोषणा अंतर्गत धारा 53,88 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :- 9/4/24

वादी निम्न वाद प्रस्तुत करता है :-

1-यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 हिन्दु है व हिन्दु मिताक्षरा शाखा से गर्वन होते है। सभी स्व.श्यामलाल जी के वारिसान है।

2-यह है कि ग्राम निम्बोला बिस्वा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 192 रकबा 4.0100 हैक्टर,खसरा नबर 321 रकबा 1.5300 हैक्टर,खसरा नंबर 335 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 336 रकबा 0.0200 हैक्टर,खसरा नंबर 340 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नंबर 341 रकबा 0.0400 हैक्टर,खसरा नंबर 381 रकबा 1.0100 हैक्टर,खसरा नंबर 373 रकबा 0.4700 हैक्टर,खसरा नंबर 343 रकबा 2.3700 हैक्टर,खसरा नंबर 368 रकबा 0.9200 हैक्टर,खसरा नंबर 387 रकबा 2.5500 हैक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित की गई है।

3-यह है कि वादग्रस्त खसरा की भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजो की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। जिनके स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरा की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को उतराधिकार में प्राप्त हुई। इस प्रकार वादग्रस्त खसरा की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की पैतृक भूमि है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरा की भूमि में वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है।

4-यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने वादग्रस्त आराजी का मौके पर सहूलियत के अनुसार जुबानी बंटवारा आज से काफी समय पूर्व कर लिया है,जिसका नजरी नक्शा साथ में पेश है,जो दावा का भाग है। बंटवारा निम्न प्रकार से है:-

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर

वादी लक्ष्मीनारायण के बंट में –
मौजा निम्बोला बिस्वा के खसरा नंबर 373 रकबा 0.4700 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 368 रकबा 0.9200 हैक्टर,खसरा नंबर 387 रकबा 2.5500 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 381 रकबा 0.0100 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 343 रकबा 2.3700 हैक्टर में सें रकबा 0.0200 हैक्टर 0.8700 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शिता अनुसार।
प्रतिवादी संख्या 1 सतीश के बंट में–
मौजा निम्बोला बिस्वा के खसरा नंबर 343 रकबा 2.3700 हैक्टर में सें रकबा 0.0500 हैक्टर 0.6900 हैक्टर नजरी नक्शा अनुसार।
प्रतिवादी संख्या 2 गोविन्दलाल के बंट में –
मौजा निम्बोला बिस्वा के खसरा नंबर 192 रकबा 4.0100 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 321 रकबा 1.5300 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 340 रकबा 0.0200 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 343 रकबा 2.3700 हैक्टर में सें रकबा 0.7400 हैक्टर नजरी नक्शा के अनुसार।
वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त बंट में–
मौजा निम्बोला बिस्वा के खसरा नंबर 335 रकबा 0.0100 हैक्टर,खसरा नंबर 336 रकबा 0.0200 हैक्टर,खसरा नंबर 341 रकबा 0.0400 हैक्टर।
नोट :– प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 ने अपने बंट की ऐवज में सम्पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर ली है। तथा अपना सम्पूर्ण खातेदारी हक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में जुबानी तर्क कर दिया है। जिससे प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 का वादग्रस्त खसरान की भूमि में कोई हक,बंट,अधिकार,काश्त व कब्जा नहीं है।

5–यह है कि उपर वर्णित बंट के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मौके पर काश्त व काबिज है। तथा अलग अलग सीवें माठें कायम कर ली है। मगर विधिवत बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। जिससे मुतनाजा खसरा का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतू वाद पेश है।

6–यह है कि उक्त मुतनाजा आराजी पर काश्त व कब्जा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का सहूलियत से अलग अलग है। मगर मुतनाजा आराजी की खातेदारी में बंटवारा के विपरीत नाम दर्ज है। इसलिए वादी यह धोषणा का वाद पेश कर इस प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित बंट के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है।

7–यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि दावा वादी की डिकी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण मय खर्चा के निम्नलिखित तरीके से सादिर फरमायी जावें।

A. यह है कि घोषणा की डिकी इस प्रकार की सादिर फरमायी जावें कि वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित बंट के अनुसार भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है।
B. यह है कि मुतनाजा खसरा का बंटवारा वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में बताये अनुसार व नजरी नक्शा में दर्शिता अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का सेपरेट पजेशन कायम करवाया जावें तथा उसी अनुसार अलग अलग खातेदारी इन्द्राज किया जावें तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 का नाम खातेदारी से हटाया जावें।
C. यह है कि दिगर दादरसी मुफिद वादी हो अतः फरमायी जावें।

वकील वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब हेतू तलब किया गया। वादी मय वकील व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 मय वकील के हाजिर होकर अपना राजीनामा पेश किया गयां। प्रतिवादी संख्या 5 को जरिये रजिस्टर्ड

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

के सम्मन भिजवाया गया। करीबन तीन माह के व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अपना पक्ष रखने बाबत उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात उनके विरूध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक भूमि है जो उतराधिकार में प्राप्त हुई। जिसका बंटवारा आपसी सहमति से करवाना चाहता है। इसलिए राजीनामा पेश कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 3,4,6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में जुबानी त्याग कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 को रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाया गया फिर भी हाजिर नही हुआ। अतः वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी मौजा निम्बोला बिस्वा संवत् 2073–76 का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के नाम खातेदारी में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 ने अपना राजीनामा पेश कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 5 को जबाब हेतू रजिस्टर्ड सम्मन भेजा गया मगर उपस्थित नही हुआ। जिससे जाहिर होता है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है। मुतनाजा आराजी पक्षकारान की पैतृक भूमि है जो उतराधिकार में प्राप्त हुई है। जिसका बंटवारा आपसी सहमति से करवाना चाहते है। पैतृक भूमि का बंटवारा उनके उतराधिकारीयो के बीच किया जाना उतिच है। प्रतिवादी संख्या 3,4,6, ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में जुबानी हक त्याग कर दिया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मौके पर काश्त व काबिज है और सहूलियत से बंटवारा किया हुआ है।

समस्त विवेचन से वादी का वाद जरिये राजीनामा के स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारान के नाम निम्न प्रकार से बंटवाड़ा किया जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

<u>वादी लक्ष्मीनारायण के बंट में –</u>

मौजा निम्बोला बिस्वा के खसरा नंबर 373 रकबा 0.4700 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 368 रकबा 0.9200 हैक्टर,खसरा नंबर 387 रकबा 2.5500 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 381 रकबा 0.0100 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 343 रकबा 2.3700 हैक्टर में सें रकबा 0.0200 हैक्टर+0.8700 हैक्टर नजरी नक्शा में दर्शिता अनुसार।

<u>प्रतिवादी संख्या 1 सतीश के बंट में–</u>

मौजा निम्बोला बिस्वा के खसरा नंबर 343 रकबा 2.3700 हैक्टर में सें रकबा 0.0500 हैक्टर+0.6900 हैक्टर नजरी नक्शा अनुसार।

<u>प्रतिवादी संख्या 2 गोविन्दलाल के बंट में –</u>

मौजा निम्बोला बिस्वा के खसरा नंबर 192 रकबा 4.0100 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 321 रकबा 1.5300 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 340 रकबा 0.0200 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 343 रकबा 2.3700 हैक्टर में सें रकबा 0.7400 हैक्टर नजरी नक्शा के अनुसार।

<u>वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त बंट में–</u>

मौजा निम्बोला बिस्वा के खसरा नंबर 335 रकबा 0.0100 हैक्टर,खसरा नंबर 336 रकबा 0.0200 हैक्टर,खसरा नंबर 341 रकबा 0.0400 हैक्टर।

प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के नाम खातेदारी से हटाया जाता है।

तहसीलदार रियांबड़ी पक्षकारान के बीच उपरोक्तानुसार संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट " क से झ " के अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। राजस्व नक्शे में अलग अलग तरमीम की जाकर सेपरेट पजेशन कायम करवाया जावे। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो। नजरी नक्शे इस निर्णय के भाग रहेगे।

निर्णय आज दिनांक 9/4/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर